प्ररूप–2

ग्राम:
ई–मेल–

फोन:
फैक्स:

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,मुजफ्फरनगर

संख्याक: एच0सी0–मान्यता/ 1066–71 /2015–16 तारीख: 13 मई 2015

प्रबन्धक,

डिवाईन ग्रेस पब्लिक स्कूल ,
सिसौली,
विकास खण्ड– शाहपुर,
जनपद– मुजफ्फरनगर।

विषय:– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2001 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 25.6.2014 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 30.3.2015 में लिए गये निर्णय तथा सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),मेरठ/सहारनपुर मण्डल के अद्योहस्ताक्षरी को सम्बोधित पत्रांक प्रबन्ध/7397/2014-15 दिनांक 31.3.2015 के अनुपालन में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय के पत्रांक मान्यता/9492–93/2014–15 दिनांक 31.3.2015 के द्वारा विद्यालय के आवेदन शुल्क, आवेदनपत्र,संदान कोष, समिति रजिस्ट्रेशन, नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाणपत्र, अग्निशमन प्रमाणपत्र, भवन किरायानामा तथा कक्षा कक्षों की नाप का पुनः सत्यापन कराने हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति गठित की गई।

गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपने पत्रांक 1039/2015–16 दिनांक 02.5.2015के द्वारा विद्यालय के सम्बन्ध में विद्यालय के किये गये स्थलीय निरीक्षण तथा प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में दी गई सत्यापन आख्या तथा संस्तुति के आधार पर, मैं डिवाईन ग्रेस पब्लिक स्कूल , सिसौली, विकास खण्ड– शाहपुर, जनपद– मुजफ्फरनगर को तारीख 30.03.2015 से तारीख 29.03.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2001(उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3– विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक

आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–हीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4– पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5– सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6– विद्यालय किसी बालक को उसी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

Manager
DIVINE GRACE PUBLIC SCHOOL
Sisauli Distt. M. Nagar

Principal
DIVINE GRACE PUBLIC SCHOOL
Sisauli Distt. M. Nagar

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(iii) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 28 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और।

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7— विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8— विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और मानदंडों को बनाए रखेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है:—

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	63920 वर्ग फीट
कुल निर्मित क्षेत्रफल	6187 वर्ग फीट
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	40000 वर्ग फीट
कक्षों की संख्या	15 कक्ष
प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भांडागार के लिए कक्ष	है।
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	है।
पेयजल सुविधा	है।
मिड—डे—मील पकाने के लिए रसोई	है।
बाधारहित पहुंच	है।
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	है।

9— विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

Manager
DIVINE GRACE PUBLIC SCHOOL
Sisauli Distt. M. Nagar

Principal
DIVINE GRACE PUBLIC SCHOOL
Sisauli Distt. M. Nagar

ड–संस्था को उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व से मान्यता प्राप्त होने के संबंध में यदि कोई तथ्य छिपाया गया हो तो यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

ढ–विद्यालय द्वारा प्रस्तावित भूमि/भवन में ही विद्यालय संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है, अन्यत्र किसी भी भूमि/भवन में संचालित होने वाले विद्यालय अथवा शाखा हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र अमान्य होगा।

ढ–अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी मानकों का पालन करते हुए सम्बन्धित विभाग से प्रत्येक वर्ष जांच/ निरीक्षण कराया जायेगा और यथानियम प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण भी कराया जायेगा।

ण–भविष्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विभाग द्वारा 'अलाभित समूह' और 'दुर्बल वर्ग' के चयनित किये गये बच्चों का धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत प्रवेश लिया जाना बाध्यकारी होगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है अथवा कोई तथ्य छुपाया गया संज्ञान में आता है, तो मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा।

भवदीय

(राणा सहस्त्रांशु कुमार सुमन)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
सदस्य सचिव/मण्डलीय समिति

पृ0सं0: सी0बी0एस0ई0/ 6694-6702 /2022–23 दिनांकः उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त (अध्यक्ष–मण्डलीय समिति) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा लिये निर्णय के अनुपालन मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊ।
3– जिलाधिकारी (सदस्य, मण्डलीय समिति) सहारनपुर।
4– शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
5– जिला विद्यालय निरीक्षक (सदस्य–मण्डलीय समिति) सहारनपुर।
6– प्रबन्धक DIVINE GRACE PUBLIC SCHOOL SISAULI MUZAFFARNAGAR.
7– निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
8– गार्ड फाईल।

Manager
DIVINE GRACE PUBLIC SCHOOL
Sisauli Distt. M. Nagar

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
सदस्य सचिव/मण्डलीय समिति

Chairman
Gyanodaya Educational Trust
Sisauli, Muzaffarnagar

A. Kumar
Principal
DIVINE GRACE PUBLIC SCHOOL
Sisauli Distt. M. Nagar